न्यायालय सी0जे0एम0, सम्भल स्थित चन्दौसी।
उपस्थितः कमल दीप, उ0प्र0 न्यायिक सेवा।
JO Code -UP 1794
CNR No-UPSL04007730/2021
विविध वाद संख्या–363/2021
पंजीयन संख्या–425/2021
यशपाल बनाम चन्द्रकेश आदि।
17–12–2021

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर वादी मय अधिवक्ता उपस्थित। वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र पर सुना गया।

प्रार्थी/वादी यशपाल सिंह द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 719/2017 अर्न्तगत धारा 147,148,149,307 भा0दं0सं0 थाना बहजोई के मामलें में विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या सं0 188/2017 के विरूद्व प्रोटेस्ट प्रस्तुत कर उक्त अन्तिम आख्या को निरस्त कर अभियुक्तगण को तलब किये जाने की प्रार्थना की गयी है। आधार स्वरूप कथन किया गया है कि उक्त प्रकरण में विवेचक ने निष्पक्ष विवेचना नहीं की है तथा अभियुक्तगण से हमसाज होकर गलत तथ्यों के आधार पर अन्तिम आख्या प्रस्तुत कर दी है उक्त मुकदमें के अभियुक्तगण ने जान से मारने की नीयत से प्रार्थी को तमन्चे से गोली मारी है घटना के समय किशनपाल व सूरजपाल मौजूद थे। प्रार्थी का इलाज सरकारी अस्पताल बहजोई व मुरादाबाद में हुआ था मेडिकल रिपोर्ट व एक्सरे रिपोर्ट व सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थी व किशनपाल व सूरजपाल का विवेचक ने धारा 161 दं0प्र0सं0 का लिखित व मौखिक बयान अंकित किया है जिसमें प्रार्थी व चश्मदीद साक्षी किशनपाल व सूरजपाल ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जायलो गाड़ी से बल्लमपुर जा रहे थे जब हम नहर पार करके बल्लमपुर की ओर जाने लगे तो मुलजिमानो ने जबरदस्ती आगे खड़े होकर गाड़ी रोक ली। गाड़ी किशनपाल सिंह चला रहा था। बराबर वाली सीट पर यशपाल बैठा हुआ था और पीछे सीट पर सूरजपाल बैठा हुआ था और इन लोगो ने यशपाल को खींचकर बाजरे के खेत में ले जाकर गोली मार दी गोली यशपाल के बायी जांघ में लगी उसके बाद थाने रिपोर्ट लिखाायी तथा यशपाल को इलाज के लिए भेजा। चिकित्सक द्वारा तैयार रिपोर्ट में फायर आर्म का प्रवेश भाव 5 सेमी गुणा 4 सेमी दर्ज है तथा ब्लेचिंग व ब्लडिंग आदि अंकित है। उक्त रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थी दिनॉक 15.10.2017 से 19.10.2017 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय मुरादाबाद में भर्ती करके इलाज किया जिसकी रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। रिपोर्ट में फायर की चोट आना अंकित किया गया है विवेचक ने अभियुक्तगण से हमसाज होकर अपने मर्जी से अभियुक्तगण के परिवार वालो के बयान अंकित कर लिये है। प्रार्थी व चश्मदीद साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है किन्तु विवेचक ने अभियुक्तगण से अनुचिल लाभ प्राप्त करके उक्त मुकदमें में अन्तिम आख्या प्रस्तुत की है। अभियुक्तगण को तलब कर मामला स्टेट केस के रूप में चलाये जाने की प्रार्थना की गयी है।

Digitally signed by Kamal Deep
Date: 2021.12.18 17:26:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उक्त मामलें में विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि अब तक की तमामी विवेचना से अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध सिद्ध नहीं हुआ है जब कि पाया गया है कि वादी मजरूव की पहनी पेन्ट की बायी अन्टी में उरसा हुआ तमन्चा किसी कारण वश वादी द्वारा स्वयं से चल जाने के कारण वादी घायल हुआ है और उसने अपना कृत्य छिपाने व अपनी दुश्मनी निकालने के लिए नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध झूंठा मुकदमा लिखाया है जिसकी विवेचना द्वारा अन्तिम रिपोर्ट समाप्त की जाती है।

मैने वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा वादी द्वारा प्रस्तुत अभ्यापत्ति याचिका एवं पत्रावली पर उपलब्ध केसडायरी का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामलें में वादी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसमें वादी द्वारा अपने प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र में किये कथनो का समर्थन किया है। वादी द्वारा अपने बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 में भी घटना का समर्थन किया गया है, किन्तु उसके बाद भी विवेचक द्वारा इस आधार पर अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी है कि वादी मजरूव की पहनी पेन्ट की बायी अन्टी में उरसा हुआ तमन्चा किसी कारण वश वादी द्वारा स्वयं से चल जाने के कारण वादीघायल हुआ है और उसने अपना कृत्य छिपाने व अपनी दुशमनी निकालने के लिए नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध झूंठा मुकदमा लिखाया है जिसके कारण अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी है। जब कि विवेचक का दायित्व था कि वह उक्त प्रकरण में छानवीन करते और प्रकरण से संबंधित चिकित्सीय अभिलेखो की जांच कर अपनी विवेचना में सम्मिलित करते, किन्तु विवेचक द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा घटना के संबंध में उचित विवेचना नहीं की गयी है। न्यायालय की राय में प्रस्तुत प्रकरण में अग्रिम विवेचना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या 719/2017 अर्न्तगत धारा 147,148,149,307 भा0दं0सं0 थाना बहजोई के मामलें में प्रस्तुत अन्तिम आख्या संख्या 188/2017 दिनॉक 01.11.2017 निरस्त की जाती है। प्रभारी निरीक्षक थाना बहजोई को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त मामलें में नियमानुसार अग्रिम विवेचना कर अपनी आख्या न्यायालय मे प्रस्तुत करें।

(कमल दीप),
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सम्भल स्थित चन्दौसी।